न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 71/20 सन् 2020

GCMS NO-2020/00161

बउनवानीः– भूदेव पुत्र उमाशंकर जाति ब्राहामण निवासी चौथ का बरवाडा

बनाम

1. हंसराज पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी पांवडेरा तहसील चौथ का बरवाडा
2. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 29.6.2020 कमांक भू.अ./2020/2515 बाबत सीमाज्ञान)

उपस्थितः– 1. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री अब्दुल बहाव — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांकः– 06.01.2022**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश कमांक भू.अ./2020/2515 दिनांक 29.6.2020 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो. संख्या 1 द्वारा रेस्पो. संख्या 2 के यहॉ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर दिनांक 29.6.2020 को कमांक 2515/2020 पत्र द्वारा हल्का पटवारी व आई.एल.आर को आराजी ख0न0 96/2391 वाके ग्राम पावंडेरा तहसील चौथ का बरवाडा का सीमाज्ञान बाबत दिया गया इस पर हल्का पटवारी ने आराजी ख0न0 237 व 240 की मध्य मेड से जरीफ चलाकर सीमाज्ञान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के विपरीत जाकर किया गया उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है। क्योकि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि पूर्व में दिनांक 29.5.1972 को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट की आराजी का सीमाज्ञान बाबत ख0न0 99–82 रकबा 41 बीघा वाके ग्राम पावंडेरा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जा चुकी थी तो पूर्व में अपीलान्ट की भूमि का पुनः सीमाज्ञान नही किया जा सकता है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गयी है तथा हल्का पटवारी से साज कर रेस्पो. संख्या 1 ने तथ्यों को छुपाकर उपरोक्त सीमाज्ञान कराया है प्रार्थी को साक्ष्य सुनवायी को समुचित अवसर प्राप्त नही हुआ है। इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. के विरूद्व सक्षम न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा में एक वाद पत्र व एक टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2017 को प्रस्तुत कर रखा था जो आज भी जैरकार है उक्त वाद व टी.आई प्रार्थना पत्र का निर्णय [illegible] विचाराधीन रहते हुए सीमाज्ञान बाबत की गयी उक्त कार्यवाही अपने आप मे [illegible] क्योकि विधि का स्पष्ट सिद्वान्त है कि वाद पत्र लंबित रहने के दौरान [illegible] कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति मे [illegible] चाहिए। उपरोक्त अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलान्ट को उसकी खातेदारी भूमि को रे[illegible] द्वारा डोल मेड तोडक[illegible] कर दी है उसमे स्थित पेड पौधो को नष्ट कर दिया है। जिस[illegible] रिपोर्ट भी माननीय पु[illegible] अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर एवं संबंधित थाने को दी जा चुकी है। रेस्पो. संख्या 1 ने रेस्पो. संख्या 2 से साज कर अपीलान्ट को हैरान पेरशान करने की गरज से उसकी भूमि को नष्ट करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:05:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उद्‌देश्य से उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही जरिये सीमाज्ञान आदेश सम्पादित की गयी है। विधि का स्पष्ट सिद्वान्त है कि पूर्व में सीमाज्ञान के जरिये पत्थर गढी की जा चुकी हो तो पुनः उसी भूमि का सीमाज्ञान नही किया जा सकता है इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण खिलाफ कानूनी होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.8.2020 को प्राप्त होने पर अपने वकील से सलाह लेकर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर व दिनांक 4.9.2020 को नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि प्रार्थी द्वारा स्वंय की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने बाबत अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही सीमाज्ञान की कार्यवाही की गयी है तथा प्रार्थी अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि ख0न0 96/2391 रकबा 0.23 है0 का सीमाज्ञान करवा रहा है तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सीमाज्ञान प्रशासनिक आदेश के द्वारा दिया गया है जिसमे किसी प्रकार की न्यायिक प्रकिया नही है तथा प्रशासनिक आदेश की अपील सुनने का अधिकार श्रीमान के न्यायालय को नही है। जहॉ तक उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन होने का प्रश्न है तो न्यायालय द्वारा उक्त ख0न0 के संबंध मे कोई स्थगन आदेश जारी नही किया गया। जहॉ तक 1972 मे पत्थर गढी होने का प्रश्न है तो उक्त पत्थरगढी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि की हुई थी। उक्त संबंध मे अपीलान्ट द्वारा पुलिस थाने पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है उस पर एफ.आर लग चुकी है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आदेश जैर अपील कमांक/भू0अ0/2020/2515 दिनांक 29.6.2020 के द्वारा ख0न0 96/2391 का सीमाज्ञान करने हेतु 4 सदस्यों की टीम का गठन किया गया था किन्तु सीमाज्ञान बाबत तैयार की गयी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 1.7.2020 के अनुसार उक्त सीमाज्ञान अपीलान्ट की अनुपस्थिति में किया गया है जिसके कारण अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्राप्त नही होने के कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है ऐसी स्थिति में उक्त सीमाज्ञान में अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित समझता हूँ। इसलिए प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि [illegible] कमेटी का गठन कर उभयपक्षों को साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अव[illegible]ए उनकी उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने कार्यवाही की [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:05:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखवाया ज[illegible]र सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर